न्यायालय–मुंसिफ, नरकटियागंज

स्वत्व वाद सं0–237/2024

राम अनुज राव.....वादी

बनाम

बृजेश कुमार यादव एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

DATE	ORDER	REMARKS
01.08.2025	वादी की ओर से पैरवी है। अभिलेख वादी की ओर से दाखिल आवेदन दिनांक 19.06.2025 अंतर्गत आदेश 26 नियम 9 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के तहत दाखिल आवेदन के सुनवाई एवं आदेश हेतु नियत है। **आदेश (ORDER)** वादी का अपने आवेदन में कहना है कि प्रस्तुत वाद प्रतिवादीगण की उपस्थिति हेतु चल रहा है। प्रतिवादीगण, वाद की जानकारी के बाद काफी उग्र हो गये और विवादित भूमि की प्रकृति को बदलने हेतु षडयंत्र करने लगे। 15–20 दिन पूर्व रात्रि में 10 बजे के बाद विवादित भूमि की प्रकृति को बदलने के नियत से ट्रेक्टर से मिट्टी भरने लगे, जिसकी जानकारी वादी को उनके करपरदाजों द्वारा दिया गया। वादी द्वारा नजायज मिट्टी भराई के कार्य को रोकने हेतु पुलिस से सम्पर्क किया गया और स्वयं विवादित भूमि पर पहुंच कर मिट्टी की भराई के कार्य को रोका गया। वादी का घर विवादित भूमि से लगभग 50–60 किलोमिटर की दूरी पर है। विवादित भूमि की यथास्थिति को न्यायालय के समक्ष लाना आवश्यक है ताकि प्रतिवादीगण विवादित भूमि के प्रकृति में कोई बदलाव नहीं कर सके। इस हेतु अधिवक्ता आयुक्त की बहाली करना न्यायहित में आवश्यक है। विवादित भूमि कि यथास्थिति के संबंध में जाँच बिन्दु है– (क) विवादित भूमि मद नं0–01वाली भूमि की यथास्थिति के बारे में जाँच प्रतिवेदन फोटोग्राफ्स सहित। (ख) विवादित भूमि पर अगर कोई निर्माण सामग्री हो तो इसकी मात्रा कितनी है? (ग) अन्य कोई जाँच बिन्दु अधिवक्ता आयुक्त के नजर में दिखे तो उसके निस्वद भी जाँच प्रतिवेदन फोटोग्राफ्स सहित। वादी अधिवक्ता आयुक्त की फीस को वहन करने को तैयार है। अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि अधिवक्ता आयुक्त की नियुक्ति करते हुए विवादित भूमि कि यथास्थिति फोटोग्राफ्स के साथ दाखिल करने का आदेश देने की कृपा प्रदान करे। प्रतिवादीगण प्रस्तुत वाद में उपस्थित नहीं हुए है। वादी के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया। वाद लंबन के दौरान वादग्रस्त भूमि का संरक्षण करना न्यायालय का प्रथम कर्तव्य है। ऐसी दशा में वादग्रस्त भूमि की वर्तमान में वस्तु स्थिति क्या है? इस संबंध में अधिवक्ता आयुक्त से प्रतिवेदन	

न्यायालय–मुंसिफ, नरकटियागंज

स्वत्व वाद सं0–237/2024

राम अनुज राव.....वादी

बनाम

बृजेश कुमार यादव एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

लगातार 01.08.2025	की माँग किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। वादी अधिवक्ता आयुक्त के खर्चे को वहन करने को तैयार है। अतः वादी का आवेदन दिनांक 19.06.2025 को स्वीकार किया जाता है। तद्नुसार व्यवहार न्यायालय, नरकटियागंज के स्थानीय विद्वान अधिवक्ता श्री दिलीप कुमार झा को अधिवक्ता आयुक्त नियुक्त किया जाता है तथा उन्हें निर्देश दिया जाता है कि वह वादग्रस्त भूमि की वस्तु स्थिति के संबंध में फोटोग्राफ्स के साथ प्रतिवेदन 15 दिनों के अंदर न्यायालय में समर्पित करें। अधिवक्ता आयुक्त की नियुक्ति के मद में होने वाला व्यय मो0–2000/– रूपये वादी के द्वारा वहन किये जायेगें। वादी के विद्वान अधिवक्ता को निर्देश दिया जाता है कि जाँच में अधिवक्ता आयुक्त का सहयोग करें। कार्यालय रिट जारी करें। वाद दिनांक 19.09.2025 को अधिवक्ता आयुक्त के प्रतिवेदन हेतु नियत। लेखापित मुंसिफ नरकटियागंज	